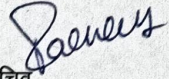


नगर पालिका जाखलमण्डी।

सार्वजनिक सूचना

सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नगर निकाय प्रशासन/सेवा वितरण में नागरिक भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 97/एसीजे दिनांक 19.01.2026 द्वारा नगर पालिका जाखलमण्डी में एरिया सभाओं का गठन किया गया है। इस आशय बारे सूचना नगर पालिका जाखलमण्डी की website- <https://ulbharyana.gov.in/JakhalMandi/2062> पर सभी जनसाधारण के लिए अपलोड कर दी गई है।

2. अतः सभी जनसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि एरिया सभा के गठन से सम्बन्धित शक्तियों व उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 में वर्णित है। यह अधिनियम नगर पालिका जाखलमण्डी की उक्त website पर उपलब्ध है।

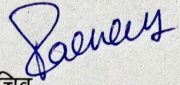

सचिव
नगरपालिका जाखलमण्डी

नगर पालिका जाखलमण्डी ।

सार्वजनिक सूचना

सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नगर निकाय प्रशासन/सेवा वितरण में नागरिक भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 97/एसीजे दिनांक 19.01.2026 द्वारा नगर पालिका जाखलमण्डी में एरिया सभाओं का गठन किया गया है। इस आशय बारे सूचना नगर पालिका जाखलमण्डी की website- <https://ulbharyana.gov.in/JakhalMandi/2062> पर सभी जनसाधारण के लिए अपलोड कर दी गई है।

2. अतः सभी जनसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि एरिया सभा के गठन से सम्बन्धित शक्तियों व उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 में वर्णित है। यह अधिनियम नगर पालिका जाखलमण्डी की उक्त website पर उपलब्ध है।


सचिव

नगरपालिका जाखलमण्डी